

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

20-राजपुर रोड (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री खजान दास 54/46 रेसकोर्स, गोविन्द नगर, आराघर, देहरादून। जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यताप्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए/की गई।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान— देहरादून
तारीख— 10-03-2022

(रजा अब्बास)

रिटर्निंग आफिसर,

20-राजपुर रोड (अ0जा0) विधान सभा

रिटर्निंग आफिसर

विधान सभा-20-राजपुर रोड (अ.जा.०)

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** from **20-Rajpur Road (SC)** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

KHAJAN DASS

54/46, race course, govind nagar, araghar, dehradun [sponsored by **Bharatiya Janata Party**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : **DEHRADUN**

Date : 10-03-2022

(Raja Abbas)

Returning Officer

020-Rajpur Road(SC)

Legislative Assembly Constituency

रिटर्निंग ऑफिसर

विधान सभा-20-राजपुर रोड (स.जा.)